संख्या– 607/79–6–2015–765/2010

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2015

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की वित्तीय स्वीकृति की प्रथम किश्त के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/2894/2015–16 दिनांक 25.05.2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 1,16,880 कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्दांश के रूप धनराशि रू0–1753.20 लाख (रू0 सत्तरह करोड़ तिरपन लाख बीस हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–584.40 लाख (रू0 पांच करोड़ चौरासी लाख चालीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–2337.60 (रू0 तेइस करोड़ सैंतीस लाख साठ हजार मात्र) की प्रथम किश्त के रूप में संलग्नक जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों /प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिहिंत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा , जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम–हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम–हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेगें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें।

2— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारम्भिक शिक्षा— आयोजनागत—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना —01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं— 0103—मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम— कुकिंग लागत आदि (के.75/रा.25—के.+रा.)—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—ई—11—754/दस—2015 दिनांक 14 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक—यथोक्त</u>

भवदीय,
15.7.15
(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2— महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3— श्रमायुक्त, कानपुर ।
4— निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5— निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6— सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7— वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9— वित्त आय—व्ययक अनुभाग—1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—3।
10— वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12— समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13— समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14— बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

ıclosure of G O No. 607/79-6-15-765-2010 दिनांक 15-7-15 का संलग्नक

[Mid Day Meal Scheme]

Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-Helpers

FY 2015-16: Grant -83 (SCSP) PLAN

1st Installment - Central & State Share (in Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (SCP category) expected to be working in 2015-16 as per information given by Districts	No. of months for which Funds are being released	Central Share Funds (@ Rs 750/cook/ month) being released as 1st installment	State Share Funds (@ Rs 250/cook/ month) being released as 1st installment	Total Funds being released as 1st Installment
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	Agra	1179	2	17.6850	5.8950	23.58
2	Aligarh	3286	2	49.2900	16.4300	65.72
3	Allahabad	4566	2	68.4900	22.8300	91.32
4	Ambedkar nagar	1427	2	21.4050	7.1350	28.54
5	Auraiya	456	2	6.8400	2.2800	9.12
6	Azamgarh	4156	2	62.3400	20.7800	83.12
7	Badaun	1038	2	15.5700	5.1900	20.76
8	Baghpat	560	2	8.4000	2.8000	11.20
9	Bahraich	2656	2	39.8400	13.2800	53.12
10	Ballia	1456	2	21.8400	7.2800	29.12
11	Balrampur	755	2	11.3250	3.7750	15.10
12	Banda	1628	2	24.4200	8.1400	32.56
13	Barabanki	1363	2	20.4450	6.8150	27.26
14	Bareily	1019	2	15.2850	5.0950	20.38
15	Basti	2183	2	32.7450	10.9150	43.66
16	Bhadohi	1053	2	15.7950	5.2650	21.06
17	Bijnour	2038	2	30.5700	10.1900	40.76
18	Bulandshahar	1617	2	24.2550	8.0850	32.34
19	Chandauli	2360	2	35.4000	11.8000	47.20
20	Chitrakoot	1365	2	20.4750	6.8250	27.30
21	CSM Nagar (Amethi)	1133	2	16.9950	5.6650	22.66
22	Deoria	1871	2	28.0650	9.3550	37.42
23	Etah	819	2	12.2850	4.0950	16.38
24	Faizabad	1691	2	25.3650	8.4550	33.82
25	Farrukhabad	320	2	4.8000	1.6000	6.40
26	Fatehpur	2132	2	31.9800	10.6600	42.64
27	Firozabad	424	2	6.3600	2.1200	8.48
28	Gautambuddh ngr	0	2	0.0000	0.0000	0.00
29	Ghazipur	2178	2	32.6700	10.8900	43.56
30	Ghaziyabad	67	2	1.0050	0.3350	1.34
31	Gonda	1679	2	25.1850	8.3950	33.58
32	Gorakhpur	3507	2	52.6050	17.5350	70.14
33	Hameerpur	975	2	14.6250	4.8750	19.50
34	Hardoi	2814	2	42.2100	14.0700	56.28
35	Hathras (Mahamaya Ngr)	980	2	14.7000	4.9000	19.60
36	Itawah	246	2	3.6900	1.2300	4.92
37	J.P. Nagar (Amroha)	759	2	11.3850	3.7950	15.18

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (SCP category) expected to be working in 2015-16 as per information given by Districts	No. of months for which Funds are being released	Central Share Funds (@ Rs 750/cook/ month) being released as 1st installment	State Share Funds (@ Rs 250/cook/ month) being released as 1st installment	Total Funds being released as 1st Installment
1	2	3	4	5	6	7=5+6
38	Jalaun	1147	2	17.2050	5.7350	22.94
39	Jaunpur	1751	2	26.2650	8.7550	35.02
40	Jhansi	1551	2	23.2650	7.7550	31.02
41	Kannauj	321	2	4.8150	1.6050	6.42
42	Kanpur Dehat	419	2	6.2850	2.0950	8.38
43	Kanpur Nagar	1204	2	18.0600	6.0200	24.08
44	Kashiram Nagar (Kasganj)	365	2	5.4750	1.8250	7.30
45	Kaushambi	1318	2	19.7700	6.5900	26.36
46	Kushinagar	3105	2	46.5750	15.5250	62.10
47	Lakhimpur Kheri	2813	2	42.1950	14.0650	56.26
48	Lalitpur	577	2	8.6550	2.8850	11.54
49	Lucknow	2222	2	33.3300	11.1100	44.44
50	Mahoba	669	2	10.0350	3.3450	13.38
51	Mahrajganj	2342	2	35.1300	11.7100	46.84
52	Mainpuri	361	2	5.4150	1.8050	7.22
53	Mathura	48	2	0.7200	0.2400	0.96
54	Mau	2018	2	30.2700	10.0900	40.36
55	Meerut	634	2	9.5100	3.1700	12.68
56	Mirzapur	2565	2	38.4750	12.8250	51.30
57	Muradabad	1694	2	25.4100	8.4700	33.88
58	Muzaffarnagar	875	2	13.1250	4.3750	17.50
59	Pilibheet	1422	2	21.3300	7.1100	28.44
60	Pratapgarh	2160	2	32.4000	10.8000	43.20
61	Rai Bareily	2291	2	34.3650	11.4550	45.82
62	Rampur	1621	2	24.3150	8.1050	32.42
63	Saharanpur	1777	2	26.6550	8.8850	35.54
64	Santkabir Nagar	1640	2	24.6000	8.2000	32.80
65	Shahjahanpur	2468	2	37.0200	12.3400	49.36
66	Shravasti	991	2	14.8650	4.9550	19.82
67	Siddharthnagar	3156	2	47.3400	15.7800	63.12
68	Sitapur	3739	2	56.0850	18.6950	74.78
69	Sonbhadra	1804	2	27.0600	9.0200	36.08
70	Sultanpur	1749	2	26.2350	8.7450	34.98
71	Unnao	1945	2	29.1750	9.7250	38.90
72	Varanasi	2564	2	38.4600	12.8200	51.28
73	SAMBHAL (BHEEM NAGAR	1310	2	19.6500	6.5500	26.20
74	HAPUR (PANCHSHEEL NAGA	62	2	0.9300	0.3100	1.24
75	SHAMALI (PRABUDDH NAG	426	2	6.3900	2.1300	8.52
TOTAL		**116880**		**1753.20**	**584.40**	**2337.60**

(अभिमन्यु त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक

संख्या– 607/79–6–2015–765/2010

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2015

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की वित्तीय स्वीकृति की प्रथम किश्त के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/2894/2015–16 दिनांक 25.05.2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 1,16,880 कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्दांश के रूप धनराशि रू0–1753.20 लाख (रू0 सत्तरह करोड़ तिरपन लाख बीस हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–584.40 लाख (रू0 पांच करोड़ चौरासी लाख चालीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–2337.60 (रू0 तेइस करोड़ सैंतीस लाख साठ हजार मात्र) की प्रथम किश्त के रूप में संलग्नक जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों /प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिहिंत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा , जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम–हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम–हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेगें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें।

2— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारम्भिक शिक्षा— आयोजनागत—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना —01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं— 0103—मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम— कुकिंग लागत आदि (के.75/रा.25—के.+रा.)—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—ई—11—754/दस—2015 दिनांक 14 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक—यथोक्त</u>

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2— महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3— श्रमायुक्त, कानपुर ।
4— निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5— निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6— सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7— वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9— वित्त आय—व्ययक अनुभाग—1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—3।
10— वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12— समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13— समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14— बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।